

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

प्रकरण संख्या
473/2025

पीठासीन अधिकारी-अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक
18.09.2025

निर्णय दिनांक
18.12.2025

1. एजी पत्नी श्री छोटू गुर्जर, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

— प्रार्थीया

बनाम

1. ईकबाल पुत्र बशीर मोहम्मद मेवाती, नि० श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
2. हबीब पुत्र बशीर मोहम्मद मेवाती, निवासी श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. नेक मोहम्मद पुत्र बशीर मोहम्मद मेवाती, नि० श्रीपुरा तह० कोटडी जिला भीलवाडा।
4. रहमति पत्नी बशीर मोहम्मद मेवाती, नि० श्रीपुरा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, कोटडी/नायब तहसीलदार बडलियास।

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थीया श्री कैलाश राव उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं।
3. विपक्षी संख्या 05 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीपुरा, पटवार हल्का जीवा का खेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला, तहसील कोटडी, जिला-भीलवाडा की आराजी संख्या 206/31 रकबा 1.0047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 220/206 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर संख्या 206/25 रकबा 2.1498 हैक्टेयर, आराजी संख्या 276/206 रकबा 0.0108 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। ह्यजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। मैंने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

मेंने पत्रावली में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्रीपुरा, पटवार हल्का जीवा का खेड़ा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आकोला, तहसील कोटड़ी, जिला-भीलवाडा की आराजी संख्या 206/31 रकबा 1.0047 हैक्टेयर, आराजी संख्या 220/206 रकबा 0.0216 हैक्टेयर, आराजी नम्बर संख्या 206/25 रकबा 2.1498 हैक्टेयर, आराजी संख्या 276/206 रकबा 0.0108 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की वेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीया से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)

उपसचिव अधिकारी
भीलवाडा